

राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद

चतुर्थ तल, ब्लॉक-5, डॉ. एस. रामकृष्णन शिक्षा संकुल परिसर
जवाहरलाल नेहरू मार्ग, जयपुर - 17

फोन नं. 0141- 2715505

E-mail- smsa.asfe@gmail.com

क्रमांक - समसा/जय/वैशि/2019-20/उजियारी पंचायत/ 3866

दिनांक - 19/07/19

1. निदेशक, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर।
2. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग।
3. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।
4. जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक / प्रारम्भिक शिक्षा, समस्त जिले।
5. अतिरिक्त जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा अभियान, समस्त जिले।

विषय :- ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत 2019-20 के ऑनलाईन आवेदन एवं भौतिक सत्यापन तथा घोषणा एवं सम्मान की संशोधित समयावधि एवं तिथियों के सम्बन्ध में।

संदर्भ:- परिषद कार्यालय का पत्र क्रमांक- समसा/जय/ 2019-20/उजियारी पंचायत/3361 दिनांक 09.07.2019 के क्रम में।

संदर्भित पत्र द्वारा सत्र 2019-20 के लिए ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत हेतु आवेदन एवं भौतिक सत्यापन तथा घोषणा एवं सम्मान की समयावधि एवं तिथियां घोषित की गयी। प्रवेशोत्सव अभियान की तिथि बढ़ाये जाने के कारण ड्रॉप आउट फ्री उजियारी पंचायत 2019-20 के ऑनलाईन आवेदन एवं भौतिक सत्यापन की संशोधित समयावधि एवं तिथियाँ तथा संबंधित अधिकारियों द्वारा की जाने वाली कार्यवाही निम्नानुसार रहेगी:-

1. प्रवेशोत्सव अभियान में चिन्हित/नवप्रवेशित बालक-बालिकाओं का शालादर्पण पोर्टल पर अपडेशन - यह कार्य सीबीईओ/पीईईओ/संस्थाप्रधानों द्वारा बालक-बालिका के विद्यालय में प्रवेशित होने के तीन दिवस में किया जाना है।
2. चयनित पंचायत एक वर्ष के लिए उजियारी पंचायत घोषित की जाती है। अतः गत वर्ष घोषित उजियारी पंचायतों को उजियारी पंचायत 2019-20 के लिए नियत समयावधि में आवेदन करना होगा।
3. ग्राम सभा से अनुमोदित उजियारी पंचायत आवेदन मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 06 अगस्त, 2019
4. सीबीईओ द्वारा शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन प्रविष्टि एवं उपखण्ड/ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच -
 - आवेदन पत्र की प्राप्ति के दिन ही ग्राम पंचायत को शालादर्पण पोर्टल पर ऑनलाईन चिन्हित किया जाए।
 - आवेदन पत्रों की संख्यानुसार ब्लॉक स्तरीय कमेटियों का गठन कर लिया जाए।
 - शालादर्पण पोर्टल पर चिन्हित ग्राम पंचायतों की ब्लॉक स्तरीय समिति से तीन दिवस में जांच करायी जाए।
 - जांच की गई ग्राम पंचायत को शालादर्पण पोर्टल पर चिन्हित किया जाए।
 - सभी आवेदित ग्राम पंचायतों की जांच दिनांक 22 अगस्त, 2019 तक पूर्ण कर ली जाए।
 - जांच कार्य आवेदन प्राप्ति से दिनांक 22 अगस्त, 2019 तक नियमित रूप से किया जाए।
5. सीबीईओ द्वारा जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन एवं जिला निष्पादन समिति द्वारा अनुमोदन -
 - शालादर्पण पोर्टल पर चिन्हित एवं ब्लॉक स्तरीय भौतिक जांच की गयी समस्त ग्राम पंचायतों का जिला स्तरीय समिति द्वारा भौतिक सत्यापन किया जाएगा।
 - शालादर्पण पोर्टल पर ब्लॉकवार चिन्हित ग्राम पंचायतों की संख्यानुसार जिला स्तरीय कमेटियों का गठन कर लिया जाए।
 - ग्राम पंचायत के जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन का कार्य उसकी ब्लॉक स्तरीय जांच के तुरंत बाद प्रारम्भ कर दिया जाए।
 - जिला स्तरीय सत्यापन का कार्य ग्राम पंचायत के ब्लॉक स्तरीय जांच होते ही प्रारम्भ कर दिया जाए एवं नियमित रूप से किया जाकर दिनांक 27 अगस्त, 2019 तक सभी आवेदित ग्राम पंचायत का सत्यापन कार्य पूर्ण कर लिया जाए।
 - जिला स्तरीय भौतिक सत्यापन समिति द्वारा उजियारी घोषित की गयी ग्राम पंचायत को शालादर्पण पोर्टल पर चिन्हित किया जाए।
 - जिला निष्पादन समिति से दिनांक 29 अगस्त 2019 तक अनुमोदन प्राप्त कर लिया जाए।
 - जिला निष्पादन समिति के अनुमोदन की प्रति परिषद कार्यालय की ई-मेल आई.डी. smsa.asfe@gmail.com पर दिनांक 02 सितम्बर 2019 तक प्रेषित की जाए।
 - दिशा-निर्देशानुसार उजियारी पंचायत की घोषणा एवं सम्मान दिनांक 5 सितम्बर 2019 को शिक्षक दिवस पर किया जाएगा।

मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एवं मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी उजियारी पंचायत की घोषणा हेतु आवेदन एवं घोषणा सम्बन्धित कार्यवाही उपरोक्तानुसार निश्चित समयावधि में किया जाना सुनिश्चित करें।

(**डॉ० नरेन्द्र कुमार गुप्ता**)
राज्य परियोजना निदेशक

क्रमांक - समसा/जय/वैशि/2019-20/उजियारी पंचायत/३८८६

दिनांक :- १९/०१/१९

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, भाषा एवं स्कूल शिक्षा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, आयुक्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद जयपुर।
3. निजी सचिव, राज्य परियोजना निदेशक, समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
4. निजी सहायक, अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक (II), समग्र शिक्षा अभियान, जयपुर।
5. समस्त सीबीईओ।
6. समस्त पीईईओ/संस्थाप्रधान।
7. रक्षित प्रति।



अतिरिक्त राज्य परियोजना निदेशक